कार्यालयः मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बारां, जिला बारां (राज0)

क्रमांकः— स्टेनो / प्रशा. / 2025 / 17 दिनांक :— 02.06.2025

—:: संशोधित कार्यालय आदेश ::—

मैं काना राम मीणा, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बारां एतद्द्वारा धारा 12 व 13 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए रिमाण्ड ड्यूटी बाबत् शाहिस्ता लोधी, अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, अटरू के मौखिक निवेदन से व सुश्री दिशा परिहार, अति0 सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, जिला बारां की सहमति से इस कार्यालय के पूर्व आदेश क्रमांकः— स्टेनो / प्रशा. / 2025 / 15 दिनांक 22.05.2025 में आंशिक संशोधन करते हुए निम्न तिथि में आवश्यक प्रकृति के दाण्डिक कार्य जैसे बेल, रिमाण्ड, सुपुर्दगी, मृत्युकालिन कथन आदि कार्य हेतु, निम्न न्यायिक अधिकारी की ड्यूटी उनके मुख्यालय पर लगता हूँ, जो अपने पदस्थापन मुख्यालय पर उपस्थित रहकर संबंधित ब्लॉक में स्थित न्यायालयों के क्षेत्राधिकार से संबंधित उपरोक्त आवश्यक कार्य का सम्पादन करेंगे।

क्र0 सं0	दिनांक	पीठासीन अधिकारी का नाम	मुख्यालय का नाम	मोबाईल नं0
01	01.06.2025	श्री लोकेन्द्र चौधरी	न्यायिक मजिस्ट्रेट, किशनगंज	मो0नं0—9413203697
02	07.06.2025 08.06.2025	सुश्री दिशा परिहार	अति0 सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, जिला बारां	मो0नं0—9509162272
03	14.06.2025 15.06.2025	श्रीमती साक्षी चौधरी	अति0 मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, छीपाबड़ौद	मो0नं0—8764391289
04	22.06.2025	श्री अनिल परवानी	अति0 मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बारां	मो0नं0—9982269996
05	28.06.2025 29.06.2025	श्रीमती संयोगिता	अति0 मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, क्रम—1, छबड़ा	मो0नं0—9001560043

1. प्रत्येक उक्त न्यायिक अधिकारी से अपेक्षा की जाती है कि वह उक्त तिथियों पर अपने मुख्यालय पर उक्त कार्य के निष्पादन हेतु उपलब्ध रहेंगे। बिना मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बारां को सूचना दिये अपना मुख्यालय नहीं छोड़ेंगे। किसी विशेष परिस्थितियों में श्रीमान् जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय, बारां व मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बारां से पूर्व अनुमति लेते हुए वैकल्पिक व्यवस्था के बारे में सुझाव देते हुए, अपना मुख्यालय छोड़ सकेंगे।
2. यदि किसी कारण से निर्धारित तिथि के पूर्ववर्ती या पश्चातवर्ती दिवस का राजकीय अवकाश घोषित हो जाता है तो वही पीठासीन अधिकारी उक्त कार्य करेंगे जो राजकीय अवकाश घोषित होने से पूर्व निर्धारित दिवस के लिए नियत किए गए थे।

नोटः— उपरोक्त के अलावा संबंधित थानाधिकारी अपने मूल न्यायालय के पीठासीन अधिकारी, यदि वह अपने मुख्यालय पर मौजूद है, से भी रिमाण्ड आदि ले सकेंगे।

(कानाराम मीणा)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बारां
जिला बारां (राज0)

क्रमांक :— 795 दिनांक :— 02-06-2025

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :—

1. श्रीमान् जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय, बारां
2. श्रीमान जिला पुलिस अधीक्षक, बारां को प्रेषित कर लेख है कि बारां जिले के समस्त आरक्षी केन्द्र के थानाधिकारियों को आदेश से सूचित करने का श्रम करें।
3. थानाधिकारी, पुलिस थाना कोतवाली बारां।
4. सिस्टम ऑफिसर जिला न्यायालय, बारां को बारां न्याय क्षेत्र की Website-baran.dcourt.gov.in पर इस आदेश को अपलोड व बारां न्यायक्षेत्र के समस्त न्यायालयों में ई—मेल करने हेतु।
5. कार्यालय प्रति।

(कानाराम मीणा)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बारां
जिला बारां(राज0)